संख्या-3/2019/140/78-2-2019-80 आई.टी./2017

प्रेषक,

एम0बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 **लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2019**

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में राजस्व लेखा शीर्ष "2852-उद्योग- 07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-27-शासकीय कार्यालयों में ई-आफिस व्यवस्था-42-अन्य व्यय" में प्राविधानित धनराशि रू 30.00 करोड़ में से रू 52.81 लाख की धनराशि का पुनर्विनियोग लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-03-शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण-42-अन्य व्यय" में कराकर धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में शीर्ष "2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-03-शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण-42-अन्य व्यय" में कराकर धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में में प्राविधानित धनराशि रू0 52.81 लाख (रूपये बावन लाख इक्यासी हजार मात्र पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन करने हेतु निम्ननिलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26.06.1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड] लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण कर उसे पीएलए/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(6) संबंधित संस्था/विभाग को भुगतान करने से पूर्व भूमि हस्तानान्तरित किये जाने के संबंध में एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जाना होगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष कर लिया जायेगा।

(9) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(10) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में राजस्व लेखा शीर्ष "2852-उद्योग- 07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-27-शासकीय कार्यालयों में ई-आफिस व्यवस्था-42-अन्य व्यय" में प्राविधानित धनराशि रू 30.00 करोड़ में से रू 52.81 लाख की धनराशि का पुनर्विनियोग लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-03-शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण-42-अन्य व्यय" मद के नामे डाला जायेगा। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति पुनर्विनियोग से संबंधित प्रपत्र संलग्न है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकतावे बसाइटhttp://shasanadesh.up.nic.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अ0शा0प0सं0-ई-6-212/दस-2019, दिनांक 31-3-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-उपरोक्त

भवदीय,

(एम0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-3/2019/140(1)/78-2-2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
8- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2/आई.टी एवं इले. अनु-2
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकतावे बसाइटhttp://shasanadesh.up.nic.inसे सत्यापित की जा सकती है।